रेरा ने दी नोटिस पर शुरू की सुनवाई

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बगैर रजिस्ट्रेशन अपार्टमेंट और आवासीय परियोजना विकसित करने के वाले बिल्डरों को हाल ही में नोटिस जारी की थी। अब इस पर सुनवाई शुरू कर दी है। रेरा ने जिन बिल्डरों के खिलाफ सुनवाई की तारीख तय की उनमें पटना ग्रीन हाउसिंग, वास्तु विहार, साइ एनक्लेव, साइ पैलेस, साइ वैली, साइ नगर, बुद्ध विहार, इस्टर्न इस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की ठेक्नो सिटी और सोन ग्रीन वैली, आशीर्वाद ग्रुप ऑफ कंपनीज की आइओबी गलैक्सी-2, आशीर्वाद रोज वैली, श्री सिद्धि विनायक रेजीडेंसी, पीएनबी गैलेक्सी-1, पीएनबी गैलेक्सी-2, एसएनएलबी की सर्वयोनी सिटी का मामला शामिल है। रेरा ने सुनवाई से संबंधित सूची बाकायदा वेबसाइट पर डाल दी है। बिल्डरों पर बगैर रजिस्ट्रेशन अपार्टमेंट बनाने और खरीददारों से वादा खिलाफी करने का आरोप है।